होल्डिंग टैक्स से भरेगा खजाना

3-7-13 D.J.

जुलाई 2011 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर विकास विभाग की समीक्षा की थी तो जाहिर हुआ कि बिहार में प्रति व्यक्ति सालाना होल्डिंग टैक्स की वसूली 50 रुपये होती है, जबकि राष्ट्रीय औसत 486 रुपये है। अहमदाबाद में प्रति एक हजार की आबादी पर 400 लोग टैक्स अदा करते हैं, जबकि बिहार में यह 100 के आसपास है। बहरहाल, ताजा लक्ष्य के आधार पर 2014-15 में पटना नगर निगम क्षेत्र में प्रति व्यक्ति होल्डिंग टैक्स की वसूली 485 रुपये होगी।

जागरण ब्यूरो, पटना : सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल किया गया, तो होल्डिंग टैक्स की वसूली से नगर निकायों का खजाना भरेगा। जाहिर है वसूली बढ़ेगी तो उतनी ही राशि राज्य सरकार राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आलोक में मैचिंग ग्रांट के रूप में अनुदान भी देंगी। इस वित्तीय वर्ष से प्रदेश के नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि की गई है।

वृद्धि का आधार : नगर विकास विभाग का मानना है कि वार्षिक किराया मूल्य (एआरवी) में वृद्धि से कर संग्रहण में वृद्धि होगी। इसी एआरवी के आधार पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण होता है। इसके अतिरिक्त सालाना आबादी में ढाई प्रतिशत की वृद्धि और होल्डिंग की संख्या में 10 फीसद की वृद्धि के साथ कर संग्रहण की क्षमता में वृद्धि और प्रति होल्डिंग रहने वालों की संख्या 5.50 को आधार मानते हुए कर वसूली के वृद्धि और उसके लक्ष्य का आकलन किया गया है।

सरकार ने किया टैक्स वसूली का आकलन

दो साल में 100 करोड़ से बढ़कर 324 करोड़ की होगी वसूली

बीते वित्तीय वर्ष, यानी 2012-13 में प्रदेश के 141 नगर निकायों ने करीब 100 करोड़ रुपये की वसूली की थी। 2014-15 में इसके बढ़कर 324 करोड़ हो जाने का आकलन किया गया है।

नगर निगम

	वसूली (2012-13)	लक्ष्य (2014-15)
पटना	28.97	87.72
गया	5.75	14.78
भागलपुर	4.69	14.99
मुजफ्फरपुर	4.14	8.83
दरभंगा	3.49	8.40
बिहारशरीफ	9.92	8.17
पूर्णिया	1.46	5.86
आरा	2.87	6.28
कटिहार	2.32	4.49
मुंगेर	2.16	5.19

(राशि करोड़ में)